



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता प्रा०ख०, लो०नि०वि०, लैन्सडौन (गढ़वाल)।



E Mail ID:- eepwdlansdowne1@gmail.com. / eepwdlansdowne@rediffmail.com. / eepdlns.pwduk@gov.in
Phone/Fax : (01386) 262260

पत्रांक 1222/21सी०

दिनांक :- 24/04/2018

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं० 8बी/यू०सी०पी०/०६/८४/२०१५/एफ०सी०/१४५१ दिनांक ०९.१२.२०१६, अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण देहरादून की पत्रांक १६५७/एफ०पी०/यू०के०/रोड/९४०७/२०१५ दि० ०९.१२.२०१६ एवं पत्रांक २९१८/एफ०पी०/यू०के०/रोड/९४०७/२०१५ दि० २२.०२.२०१८।

महोदय,

कृपया भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। भारत सरकार की सन्दर्भित पत्र द्वारा विषयक ON LINE वन भूमि प्रकरण में विभिन्न अधिरोपित शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या ON LINE UP LOAD करते हुए हार्ड कापी में निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है।

१. शर्त सं० १ के अनुपालन में अवगत करना है कि विषयक वन भूमि प्रकरण में प्रत्यावर्तित होने वाली १.८०० हे० वन भूमि के दुगने अवनत क्षेत्रफल अर्थात् $1.800 \times 2 = 3.600$ हे० सिविल भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सुराड़ी सिविल सोयम भूमि चयनित की गई थी। राजस्व विभाग के अनुसार ग्राम सुराड़ी पट्टी डबरा लस्यू तहसील लैन्सडौन की खाता सं० ७३ खसरा न० ४३७० कुल रकवा ३९.४३७ हे० मध्ये ३.६०० हे० जो भूमि की श्रेणी ९(३) ग चारागाह (गौचर) में दर्ज अभिलेख है। गौचर श्रेणी की भूमि का नामान्तरण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त के कमराजस्व विभाग से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयन करने के लिए अनुरोध किया गया। जिसके कम में राजस्व विभाग द्वारा ग्राम ढाक लगा तिमलसैण पट्टी-बिचला बदलपुर, तहसील-लैन्सडौन की सिविल सोयम भूमि NON ZA खाता खतौनी सं० ०२ खसरा न० १२८ कुल रकवा ६६.७१२ हे० मध्ये ३.६०० हे० भूमि की श्रेणी ९(३)ड को चयनित कर सूचित की गई। प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का राजस्व विभाग, वन विभाग व प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा दि० २८.०५.२०१७ में किया गया।

चयनित भूमि का नामान्तरण जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय की कार्यालय आदेश सं० 2527/26-प्रशा०अधि० (सा०प्रशा०)/2017 दि० 14.09.2017 द्वारा वन विभाग के पक्ष में किए जाने के आदेश पारित किए गये। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी की पत्र सं० 4771/12-1 दि० 20.06.2017 द्वारा खण्ड को अवगत कराया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल (ए०एन०आर०) सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन हेतु उपयुक्त है, परन्तु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त नहीं है।

पुनः प्रत्यावर्तित होने वाली 1.800हे० भूमि के दुगने क्षेत्रफल में वृक्षारोपण हेतु नया स्थल चयन करने हेतु दि० 28.06.2017 में राजस्व विभाग से अनुरोध किया गया। राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 06.10.2017 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू-3 के खाता खतौनी सं० 19 खसरा न० 4809 रकवा 36.00हे० मध्ये 3.600हे० उत्तराखण्ड सरकार NON ZA भूमि की श्रेणी 9(3) (ग) अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ी दर्ज अभिलेख है को प्रस्तावित कर सूचित किया गया। चयनित भूमि का राजस्व विभाग, वन विभाग व लो०नि०वि०, के प्रतिनिधियों द्वारा दि० 03.08.2017 में संयुक्त निरीक्षण किया गया। क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल के उपयुक्त पाये जाने पर जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय की आदेश सं० 493/26-प्रशा०अधि०(सा०प्रशा०)/2017 दिनांक 20.12.2017 द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 14.09.2017 को खण्डित करते हुए ग्राम दाबड़ पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन के वर्तमान खाता खतौनी सं० 19 के खसरा न० 4809 रकवा 36.00हे० मध्ये 3.60 हे० उत्तराखण्ड सरकार, भूमि की श्रेणी 9(3) (ग) अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ी दर्ज अभिलेख को वन विभाग के पक्ष में नामान्तरण किए जाने के आदेश पारित किए गये। वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित सिविल सोयम भूमि का अमल-दरामद तहसील कार्यालय स्थित रक्षित वही आर-6 व राजस्व उपनिरीक्षक पट्टी बिचला ढांगू तहसील लैन्सडौन की NON ZA खाता खतौनी में दर्ज करने के पश्चात तहसीलदार लैन्सडौन की पत्र सं० 73/र०का०2017-18 अमल-दरामद दि० 10.01.2018 द्वारा खण्ड को सूचित किया गया। NON ZA खतौनी व जिलाधिकारी गढ़वाल महोदय के आदेश की प्रति संलग्न है।

2. शर्त सं० 2 के अनुपालन में एन०पी०वी० (शुद्ध वर्तमान मूल्य) की धनराशि रु० 1521000.00 का चालान जनरेट कर चालान द्वारा वन विभाग के पक्ष में कैम्पा कोष में जमा की जा चुकी है। चालान की प्रति संलग्न है।

3. शर्त सं० 3 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की दर में यदि भविष्य में कोई बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी हुई धनराशि को वन विभाग के पक्ष में जमा कराएगा। इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न है।

4. शर्त सं० 4 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समस्त निधियों में जमा की जाने वाली धनराशि को चालान द्वारा कैम्पा कोष में जमा की गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

5. शर्त सं0 5 के अनुपालन में जहां—जहां सम्भव हो मार्ग के दोनों किनारों तथा CENTRAL VERGE पर प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में STRIP PLANTATION की जाएगी। इस आशय की वचन वद्धता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।

6. शर्त सं0 6 के अनुपालन में पुनरीक्षित चयनित वृक्षारोपण स्थल का GEO-REFERENCED व DIGITAL MAP सभी सम्बन्धित अधिकारियों से हस्ताक्षरोपरान्त संलग्न है।

7. प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अन्य सभी अधिरोपित शर्तों का पूर्णतया पालन किया जाएगा तथा सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में अधिरोपित शर्त के अनुसार वन विभाग के पक्ष में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग कोटद्वार से सूचित धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वर्तमान दरों पर रू0 911995.00, एन0पी0वी0 मद में धनराशि रू0 1521000.00 कुल धनराशि रू0 2432995.00 को चालान द्वारा कैम्पा कोष/ वन विभाग के पक्ष में जमा करा दिया गया है।

अतः भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या वांछित प्रमाण-पत्रों व सी0डी0 सहित हार्ड कापी में इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया अधिरोपित शर्तों की आख्या नोडल अधिकारी देहरादून को अग्रेसित करते हुए प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान किए जाने हेतु अनुरोध करने की कृपा करें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार समस्त प्रमाण पत्र
वांछित मानचित्र 4-4 प्रतियों
में तथा सी0डी0।

भवदीय,

(आशुतोष कुमार)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

पत्रांक 1222/21सी0

दिनांक :- 24/04/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सन्दर्भित पत्रों के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव वन, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून।
3. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, (लेखा वर्ग) उत्तराखण्ड, लोक निर्माण विभाग देहरादून।
4. अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ वृत्त, लो0नि0वि0, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी, गढ़वाल।
6. सहायक अभियन्ता, तृतीय, प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन को इस निर्देश के साथ कि वे सैद्धान्तिक शर्तों की अनुपालन आख्या ON LINE UP LOAD करवाना सुनिश्चित करें।
7. खण्डीय अमीन प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आशुतोष कुमार)
अधिशाली अभियन्ता,
प्रा0खण्ड, लो0नि0वि0,
लैन्सडौन गढ़वाल।

23/04/18

5	FP/UK/ROAD/1252/2011 CHAILUSAIN SILOGI GHATTUGAD MOTOR ROAD	ROAD12522011059	11312522011059	15 Jul 2011	CA: 3548794/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 0/-, Other Charges 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 3548794/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 18 Sep 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 18 Sep 2017 Transaction Date : 25 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan
6	FP/UK/ROAD/9407/2015 Extension of Mandoli- parinda-bountha motor road upto deriyakhal	ROAD94072015388	11394072015388	09 Dec 2016	CA: 911995/- Addl CA 0/- PCA: 0/-, CAT: 0/- Safety Zone: 0/-, Addl PA 0/- NPV: 1521000/- Other Charges 0/- Other Charges1 0/- Other Charges2 0/- Other Charges3 0/- Total : 2432995/-	✓ Paid	Fund Demand Verified by : 13 Sep 2017 Nodal Officer On Bank Name : Corporation Bank Mode of Payment : Corporation Bank (Challan) Challan Generated On : 13 Sep 2017 Transaction Date : 25 Sep 2017	Demand Letter Generated Challan

Disclaimer

An innovative e-Governance initiative of MoEFCC for Transparent and Responsive Governance.
For any clarification, kindly contact at (011-24695407 or may send E-Mail monitoring-fc(at)nrc(dot)in.)

© Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India

For any Technical support, Please Contact
Environment, Forest and Climate Change Informatics Division (EFCCID), NIC, New Delhi,
monitoring-fc(at)nrc(dot)in

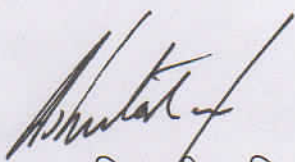
कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(पत्रावली सं० FP/UK/ROAD/9407/2015)

एन०पी०वी० धनराशि में बढोत्तरी होने पर बढी हुई धनराशि को वन विभाग के पक्ष में किए जाने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग,कोटद्वार की पत्र सं० 734/12-1 दि० 07.09.2017 द्वारा एन०पी०वी० धनराशि रू० 1521000.00 मात्र को प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में ऑन लाईन चालान जनरेट कर देहरादून स्थित कॉपोरेशन बैंक की शाखा में कैम्पा कोष फन्ड में जमा कर दी गई है। यदि भविष्य में एन०पी०वी० की दरों में वृद्धि होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढी हुई एन०पी०वी० (शुद्ध वर्तमान मूल्य) धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी जाएगी।




सहायक अभियन्ता
ग्रान्त न प० लो० नि० वि०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

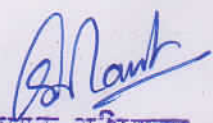

अधिशाली अभियन्ता,
प्रा०खण्ड,लो०नि०वि०,
लैन्सडौन गढ़वाल।

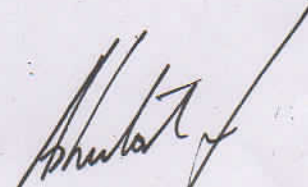
कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(पत्रावली सं० FP/UK/ROAD/9407/2015)

मार्ग निर्माण के पश्चात मार्ग के दोनो किनारों के सम्भावित स्थानों पर तथा CENTRAL VERGE पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा STRIP PLANTATION किए जाने सम्बन्धी बचन बद्धता।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना के निर्माण के पश्चात मार्ग के दोनों किनारों के सम्भावित स्थलों पर तथा CENTRAL VERGE पर प्रस्तावक विभाग, वन विभाग की देख-रेख में STRIP PLANTATION किया जाएगा। इस कार्य को कराने हेतु विभाग बचन वृद्ध है।


A-83


सहायक अभियन्ता
प्रा० व ख० लो० नि० वि०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

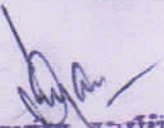

अधिशाली अभियन्ता,
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
लैन्सडौन गढ़वाल।

परियोजना का नाम— जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक निर्माण हेतु 1.80 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम-दावड विचला ढागू-3 तहसील लैन्सडौन के नॉन जेड0 ए0 खतौनी के वर्तमान खाता सं0 19 के खसरा नम्बर 4809 रक्वा 36.00हे0 मध्ये 3.60हे0(1.80 हे0 वन भूमि के दुगनी अवनत राज्य सरकार की) नॉन जेड0ए0 खतौनी में श्रेणी 9 (3)(ग) में अन्य प्रकार के वृक्ष की झाड़ी दर्ज अभिलेख है क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)


उप-प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन
लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार


वन क्षेत्राधिकारी
लैन्सडौन राजि

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में मैन्दोली-परिन्दा-बौठा मोटर मार्ग का विस्तार डेरियाखाल तक के निर्माण हेतु 1.800 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन

आज दिनांक 03/08/17 को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु राजस्व विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल ग्राम दाबड़, पट्टी-बिचला ढांगू-3, तहसील-लैन्सडौन, जिला-पौड़ी गढ़वाल में प्रत्यावर्तित होने वाली 1.800 हे० वन भूमि के दुगनी अवनत भूमि नौन जेड०ए०खतौनी के वर्तमान खाता सं० 19 खसरा न० 4809 रकबा 36.00 हे० मध्ये 3.600 हे० भूमि जो नौन जेड०ए० खतौनी के श्रेणी 9(3) (ग) में अन्य प्रकार के वृक्ष एवं झाड़ी के रूप में दर्ज अभिलेख है का संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में वन विभाग के प्रतिनिधि श्री अजय मोहन सिंह रावत अनुभाग अधिकारी एवं वन वीट अधिकारी श्री वीरेंद्र सिंह कश्यप राजस्व विभाग के प्रतिनिधि श्री पुष्कर सिंह राजस्व उप निरीक्षक विचला ढांगू-3 तथा प्रस्तावक विभाग के प्रतिनिधि श्री वासुदेव कुकरेती कनिष्ठ अभियन्ता एवं श्री महिपाल सिंह खण्डीय अमीन उपस्थित थे। प्रस्तावित भूमि में कोई गौचर, चारागाह, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, शमशानघाट, पानी, पनघट, इमारती लकड़ी, बाग आदि नहीं है, तथा प्रस्तावित भूमि सार्वजनिक उपयोग की नहीं है। इस भूमि पर ग्रामवासियों का कोई विवाद नहीं है। चयनित क्षेत्र क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है। कोई भी विभिन्न प्रकार की झाड़ियां आंगूठे अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

अजय मोहन सिंह रावत
(अनुभाग अधिकारी,
नूरा अनुभाग)

वीरेंद्र सिंह कश्यप
(वन वीट अधिकारी,
गढ़मोला वी२)

पुष्कर सिंह
राजस्व उप निरीक्षक
पट्टी बिचला ढांगू-3
तहसील-लैन्सडौन।

वासुदेव कुकरेती
कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०
लैन्सडौन

महिपाल सिंह
खण्डीय अमीन
प्रा०खण्ड, लो०नि०वि०
लैन्सडौन।

अजय मोहन सिंह
(अनुभाग अधिकारी,
सिलोनी अनुभाग)

Comptroller
40